Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Vice-Chancellor No.F(अ.109)VCS/RAJUVAS/RTI/2017/357 Dated:06-11-2017

रजिस्टर्ड-पत्र

श्री अम्बुज कुमार शर्मा,
C/o श्री राम प्रताप बिश्नोई,
अनाथालय के पीछे, विवेक नगर,
बीकानेर, मो–9460502624

विषयः–अपील सं. 109/2017 श्री अम्बुज कुमार शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में कुलपति एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 02.11.2017 की प्रति सलंग्न कर सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित है।

सलंग्नः– निर्णय प्रति।

Sd/-
निजी सचिव
कुलपति सचिवालय,
राजूवास, बीकनेर

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को निर्णय दिनांक 02.11.2017 की प्रति पालनार्थ/सूचनार्थ प्रेषित है।
2. डॉ. जी.सी. गहलोत, प्रोफेसर, ए.जी.बी., पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर को निर्णय प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि निर्णय विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर जारी करने का कष्ट करावें।

निजी सचिव
कुलपति सचिवालय,
राजूवास, बीकानेर

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

Dr. B.R. Chhipa
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 109 / 2017

अंबुज कुमार शर्मा
C/o श्री राम प्रताप बिश्नोई
अनाथआलय के पीछे, विवेकनगर
बीकानेर — अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर — प्रत्यर्थी

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 26.09.2017
अपील में निर्णय की दिनांक 02.11.2017

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्रांक एफ.(886) / राजुवास / रजि. / आर.टी.आई. / 2017 / 302 दिनांक 14.09.2017 के द्वारा पूर्ण सूचना प्रदान नहीं की गयी होने के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी / आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 24.07.2017 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 25.07.2017) प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी / आवेदक से सूचना प्रदान करने के क्रम में पत्रांक 283 दिनांक 22.08.2017 के द्वारा अतिरिक्त शुल्क राशि चाही गयी, जिसके क्रम में अपीलार्थी / आवेदक द्वारा अतिरिक्त शुल्क राशि जमा कराने संबंधि रसीद की छाया प्रति दिनांक 13.09.2017 को विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलार्थी / आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना व कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के उक्त वर्णित पत्रांक 302 दिनांक 14.09.2017 के द्वारा अपीलार्थी / आवेदक को प्रेषित सूचना का विवरण निम्नानुसार है :–

Contd.

क्र.	वांछित सूचना	
1.	राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के विज्ञापन सख्या 2013.01.09 दिनांक 26.02 2013 के तहत जिन अभ्यर्थियों का चयन समीति द्वारा चयन किया गया व प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 13.06.2014 द्वारा अनुमोदन किया गया ऐसे चयनित अभ्यर्थियों के संबंध मे निम्न सत्यापित सूचना देने का श्रम करें–	
		प्रत्युत्तर / सूचना
	1 अभ्यर्थियों के नाम।	वांछित सूचना के संबंध में 05 संलग्न है।
	2 B.V.Sc & A.H. की डिग्री, प्राप्त अकों का प्रतिशत व संबंधित कॉलेज का नाम (U.G. डिग्री किस कॉलेज से है कॉलेज का नाम)	बिन्दू संख्या 02 से 05 से वांछित सूचना के क्रम में लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचनाएं तृतीय पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी की सूचनाएं है जो कि धारा 8(i)(J) के प्रावधानों अनुसार बिना व्यापक एवं सदभाविक जनहित के प्रकट नहीं की जा सकती। ऐसी सूचनाओं के प्रकटीकरण से संबंधित पर–व्यक्ति (Third Party) की एकांतता का अनावश्यक अतिक्रमण होगा। आप द्वारा प्रासंगिक प्रार्थना पत्र में कोई व्यापक एव सद्भाविक जनहित नहीं प्रकट किया गया है। ***रामचन्द्र देशपांडे*** के प्रकरण में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से इसी सिद्धान्त की पुष्टि की जा चुकी है। अतः वांछित सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण धारा 8 (i)(J) के प्रावधानों अनुसार अदेय है।इस कारण वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जानी संभव नहीं है।
	3 M.V.Sc. की डिग्री, प्राप्त अंकों का प्रतिशत, कॉलेज का नाम।	
	4 Ph.D. की डिग्री, कॉलेज का नाम।	
	5 NET उत्तीर्ण वर्ष / नहीं, प्रत्येक अभ्यर्थियों के बारे में बताए।	
	6 ऐसे अभ्यार्थियों का नाम भी बतावें जिनकी नियूक्ति रोक दी गई थी, जिन नियमों या कारणों से रोक दी गई थी उसकी भी सत्यापित सूचना देने का श्रम करें।	वांछित सूचना के संबंध में 01 पृष्ठ संलग्न है।

अपीलार्थी द्वारा कुल सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजुवास, बीकानेर के पत्रांक 302 दिनांक 14.09.2017 द्वारा प्रदत्त सूचना से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत इस अपील मे उनके द्वारा सूचना अपूर्ण दी गई होने का उल्लेख करते हुए पूर्ण सूचना भिजवाने की प्रार्थना की है। विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक F.(A-109)VCS/RAJUVAS/RTI/2017/330 दिनांक 11.10.2017 के द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.2017 नियत की गई होना अवगत करवाया गया। लेकिन अपीलार्थी अनुपस्थित रहे व अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के उक्त नियत दिनांक को राजकीय कार्यवश मुख्यालय से बाहर होने से अपील में सुनवाई नही हो पाने के कारण आगामी सुनवाई तिथि 02.11.2017 नियत कर अपीलार्थी को पुनः सूचित किया गया। आज नियत सुनवाई तिथि 02.11.2017 को भी अनुपस्थित रहते हुए जरिये ई–मेल अपीलार्थी ने सुनवाई तिथि 06.11.2017 नियत करने का निवेदन किया है, लेकिन आज निर्धारित सुनवाई तिथि को उपस्थित नही हो पाने का कोई कारण स्पष्ट नही किया गया है। अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता दिनांक 06.11.2017 को संभवतः आवश्यक कार्यवश मुख्यालय से बाहर रहेगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अपील के निस्तारण की अधिकतम समय सीमा निर्धारित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अपील के निस्तारण की निर्धारित अधिकतम समय सीमा के भीतर अपील का निस्तारण किये जाने की बाध्यता के मध्यनजर अपीलार्थी द्वारा सुनवाई तिथि बढाये जाने का अनुरोध स्वीकार योग्य नही होने से स्वीकार नही कर अपील में सुनवाई की गई व सुनवाई हेतु उपस्थित कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजुवास, बीकानेर द्वारा पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय के अभिलेख में उपलब्ध देय सूचना अपीलार्थी को प्रदान की जा चुकी है व अपीलार्थी / आवेदक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 24.07.2017

Contd.

के बिन्दु संख्या 2 से 5 में चाही गयी सूचनाएं तृतीय पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी की सूचनाएं है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) के प्रावधानों के अनुसार बिना व्यापक एवं सद्भाविक जनहित के प्रकट नही की जा सकती है व सूचनाओं के प्रकटीकरण से संबंधित पर–व्यक्ति (Third party) की एकान्तता का अनावश्यक अतिक्रमण होगा व अपीलार्थी/आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में कोई व्यापक एवं सद्भाविक जनहित भी प्रकट नही किया गया है एवं लोक सूचना अधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रामचन्द्र देशपांडे के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

उक्त वर्णित तथ्यों, तर्कों, संबंधित अभिलेख, नियमों व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित प्रकरण मे प्रतिपादित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में अद्योहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा विश्वविद्यालय में संधारित अभिलेख में उपलब्ध नियमान्तर्गत देय सूचनाएं अपीलार्थी/आवेदक को प्रदान की जा चुकी है व वांछित शेष सूचनाएं तृतीय पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी की सूचनाएं होने व इनके प्रकटन के संबंध में अपीलार्थी/आवेदक द्वारा कोई व्यापक एवं सद्भाविक जनहित प्रकट नही किया गया होने के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी को प्रदान नही किये जाने में कोई त्रुटि नही की है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही विधि सम्मत है। अतः उक्त तथ्यों व आधारों पर अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभयपक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

Attested.

कुल सचिव
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान
विश्वविद्यालय बीकानेर

02/11/17

(बी.आर. छीपा)
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर